



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052023-245899
CG-DL-E-16052023-245899

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]
No. 297]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2023/वैशाख 26, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2023/VAISAKHA 26, 1945

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2023

सा. का. नि. 369(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 5 और उप-धारा (1) तथा धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, लोकहित में आवश्यक समझते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) (संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) नियम, 2000 में नियम 7 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 1/5/2023-ईएम]
सुरभि जैन, संयुक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 381(अ), तारीख 3 मई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्याओं के द्वारा संशोधित किए गए थे:-

- (i) सा.का.नि. 663 (अ), तारीख 09.08.2000;
- (ii) का.आ. 301 (अ), तारीख 30.03.2001;
- (iii) सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 17.12.2002;
- (iv) सा.का.नि. 33 (अ), तारीख 15.1.2003;
- (v) सा.का.नि. 397 (अ), तारीख 01.05.2003;
- (vi) सा.का.नि. 731 (अ), तारीख 05.09.2003;
- (vii) सा.का.नि. 849 (अ), तारीख 27.10.2003;
- (viii) सा.का.नि. 608 (अ), तारीख 13.09.2004;
- (ix) सा.का.नि. 512 (अ), तारीख 27.07.2005;
- (x) सा.का.नि. 412 (अ), तारीख 10.07.2006;
- (xi) सा.का.नि. 349 (अ), तारीख 22.05.2009;
- (xii) सा.का.नि. 382 (अ), तारीख 05.05.2010; और
- (xiii) सा.का.नि. 426 (अ), तारीख 26.05.2015.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2023

G.S.R. 369(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 and sub-section (1), clause (a) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in consultation with the Reserve Bank of India, the Central Government having considered it necessary in the public interest, makes the following amendment to the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000, namely:—

1. (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) (Amendment) Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000, *rule 7* shall be omitted.

[F. No. 1/5/2023-EM]

SURBHI JAIN, Jt. Secy. (Financial Market)

Note: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, *Part II, Section 3, Sub-section (i) vide* G.S.R. 381(E), dated the 3rd May, 2000 and subsequently amended *vide* notification numbers -

- (i) G.S.R.663(E), dt 09-08-2000;
- (ii) S.O.301(E) dt 30-03-2001;
- (iii) G.S.R.831(E), dt 17-12-2002;
- (iv) G.S.R.33(E), dt 15-01-2003;
- (v) G.S.R.397(E), dt 01-05-2003;
- (vi) G.S.R.731(E), dt 05-09-2003;
- (vii) G.S.R.849(E), dt 27-10-2003;
- (viii) G.S.R.608(E), dt 13-09-2004;
- (ix) G.S.R.512(E), dt 27-07-2005;
- (x) G.S.R.412(E), dt 10-07-2006;
- (xi) G.S.R.349(E), dt 22-05-2009;
- (xii) G.S.R.382(E), dt 05-05-2010; and
- (xiii) G.S.R.426(E), dt 26-05-2015.